रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2019/चैत्र 15, 1941
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2019/CHAITRA 15, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सं. भा.आ.प.-18(1)/2019-मेड./100889.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए,भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:—

1. (i) येविनियम, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहे जाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "दाखिल किए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या" शीर्षक के अंतर्गत खंड 12 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"दाखिल किए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या"

(1) क) मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापक और निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निम्नलिखित होगा:-

स्नातकोत्तर अध्यापक : छात्र – नैदानिक विषयों के लिए अनुपात		
	सरकारी कॉलेज + गैर-सरकारी कॉलेज, 15 वर्ष की स्टैंडिंग वाले	अन्य गैर-सरकारी कॉलेज
प्रोफेसर	1:3	1:2
एसोसिएट प्रोफेसर इकाई प्रमुख*	1:3	1:1
एसोसिएट प्रोफेसर.*	1:2	1:1
सहायक प्रोफेसर *	-	-

इकाई में न्यूनतम बिस्तरों की संख्या	30	30
अधिकतम सीटें/ इकाई	3 (30 बिस्तरे):5 (40 बिस्तरे)	3 (30 बिस्तरे): 5 (40 बिस्तरे)
संचेतनाहर-विज्ञान, विकिरण ऑनकॉलोजी, मनश्चिकित्सा और फोरेंसिक मेडिसिन तथा विष-विज्ञान के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर अध्यापकों : छात्रों का अनुपात लागू होगा		
	सरकारी कॉलेज + गैर-सरकारी कॉलेज, 15 वर्ष की स्टैंडिंग वाले	अन्य गैर-सरकारी कॉलेज
प्रोफेसर	1:3	1:3
एसोसिएट प्रोफेसर इकाई प्रमुख*	1:2	1:1
एसोसिएट प्रोफेसर.*	1:1	1:1
सहायक प्रोफेसर *	-	-
इकाई में न्यूनतम बिस्तरों की संख्या	30	30
अधिकतम सीटें/ इकाई ***	3 (30 बिस्तरे):5 (40 बिस्तरे)	3 (30 बिस्तरे): 5 (40 बिस्तरे)
* प्रवेश क्षमता निर्धारित करने के लिए सामान्य टिप्पणी में दिए गए उपबंध देखें।		
** 15 वर्ष की स्टैंडिंग वाले गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेज/ चिकित्सा संस्थान 10 वर्ष से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले होने चाहिए और वे संबंधित विषय में संतोषजनक ढंग से मान्यता मूल्यांकन का कम से कम एक नवीकरण पूरा किए हुए होने चाहिए और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10क के अंतर्गत सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन करने वाले होने चाहिए।		
*** ऐसे विभागों में, जहां इकाइयां विनिर्धारित नहीं हैं, ऐसे स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या, जिन्हें किसी विभाग में दाखिल किया जा सकता है, उक्त विभाग में उपलब्ध संकाय सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। कोई ऊपरी सीमा विनिर्धारित नहीं है, तथापि सीटों की संख्या उपलब्ध नैदानिक सामग्री/ कार्यभार/ सुविधाओं के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।		

प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई में प्रोफेसर के लिए और अन्य संवर्ग के लिए विनिर्धारित, मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापकों और डिप्लोमा सहित सामान्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात प्रति शैक्षिक वर्ष 30 बिस्तरों की अधिकतम तीन स्नातकोत्तर सीट प्रति इकाई और अधिकतम 5 स्नातकोत्तर सीट प्रति इकाई प्रति शैक्षिक वर्ष होगी बशर्ते कि इकाई के लिए विनिर्धारित 30 बिस्तरों की संख्या में 10 अध्यापन बिस्तरों का अनुपूरण जोड़ दिया गया हो।

<u>बिस्तरों की गणना करना</u>:

पुन: बशर्ते कि मेडिसिन विभाग के बिस्तरों की संख्या में सघन हृदयी चिकित्सा इकाई (आईसीसीयू), सघन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) के बिस्तरे और मेडिकल अति विशेषज्ञता इकाइयों के बिस्तरे शाकिल किए जाएंगे, यदि संस्थान/ मेडिकल कॉलेज संबंधित अति विशेषज्ञता में डीएम कार्यक्रम नहीं चला रहा है और मेडिसिन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है :

बशर्ते कि शल्यचिकित्सा विभाग के बिस्तरों की संख्या में शल्यचिकित्सीय सघन चिकित्सा इकाई (एसआईसीयू) बिस्तरों और शल्यचिकित्सीय अति विशेषज्ञताओं के बिस्तरे शामिल किए जाएंगे, यदि संस्थान/ मेडिकल कॉलेज संबंधित अति विशेषज्ञता में एम.सीएच. कार्यक्रम नहीं चला रहा है और शल्यचिकित्सा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है :

बशर्ते कि बालरोग विभाग के बिस्तरों की संख्या में नवप्रसव सघन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) और बालरोग सघन चिकित्सा इकाई (पीआईसीयू) बिस्तरों और अति विशेषज्ञता इकाइयों के बिस्तरे शामिल किए जाएंगे, यदि संस्थान/ मेडिकल कॉलेज संबंधित अति विशेषज्ञता में डीएम कार्यक्रम नहीं चला रहा है और बालरोग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है।

ख) मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापकों और निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निम्नलिखित होगा:

<table>
<tr><th colspan="4">स्नाताकोत्तर अध्यापक : छात्र – गैर-नैदानिक विषयों के लिए अनुपात **</th></tr>
<tr><td></td><td>सरकारी कॉलेज</td><td>गैर-सरकारी कॉलेज</td><td rowspan="4">इकाइयों और बिस्तरों की यह शर्त मूल और पारा-नैदानिक विभागों में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में लागू नहीं होगी।</td></tr>
<tr><td>प्रोफेसर</td><td>1:3</td><td>1:2</td></tr>
<tr><td>एसोसिएट प्रोफेसर.*</td><td>1:2</td><td>1:1</td></tr>
<tr><td>सहायक प्रोफेसर *</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">* प्रवेश क्षमता निर्धारित करने के लिए सामान्य टिप्पणी में दिए गए उपबंध देखें।</td></tr>
<tr><td colspan="4">** ऐसे विभागों में, जहां इकाइयां विनिर्धारित नहीं हैं, ऐसे स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या, जिन्हें किसी विभाग में दाखिल किया जा सकता है, उक्त विभाग में उपलब्ध संकाय सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। कोई ऊपरी सीमा विनिर्धारित नहीं है, तथापि सीटों की संख्या उपलब्ध नैदानिक सामग्री/ कार्यभार/ सुविधाओं के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।</td></tr>
</table>

इकाइयों और बिस्तरों की यह शर्त प्री-नैदानिक विभागों में स्नातकोत्तर डिग्री और पारा-नैदानिक विभागों में स्नाताकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में लागू नहीं होगी।

<u>सामान्य टिप्पणी</u>:

<u>एसोसिएट प्रोफेसर के लिए :</u>यदि कोई एसोसिएट प्रोफेसर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली, नामत: "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में विनिर्धारित प्रोफेसर के पद के लिए सभी पात्रता मापदंड पूरे करता है और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक की सभी शर्तें पूरी करता है, परंतु उसे पद की प्रशासिनक अनुपलब्धता या सरकारी संगठन में पद भरने में विलंब के कारण उच्चतर पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है, यदि वह उसी सरकारी संगठन में कार्य करना जारी रखता/ रखती है तो ऐसे स्नातकोत्तर अध्यापक को 03 (तीन) स्नातकोत्तर छात्र आबंटित किए जाएंगे।"

<u>सहायक प्रोफेसर के लिए :</u>यदि कोई सहायक प्रोफेसर यथासंशोधित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक की सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे एक स्नातकोत्तर अध्यापक माना जाएगा और उसे 01 (एक) स्नातकोत्तर छात्र आबंटित किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर डिग्री (अति विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों के मामले में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(i) स्नातकोत्तर अध्यापक और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निम्नलिखित होगा:

स्नातकोत्तर अध्यापक : छात्र – अति विशेषज्ञता विषयों के लिए अनुपात*		
	सरकारी कॉलेज	**गैर-सरकारी कॉलेज**
प्रोफेसर	**1:2**	**1:2**
एसोसिएट प्रोफेसर	**1:2**	**1:2**
सहायक प्रोफेसर	**1:1**	**1:1**
इकाई में बिस्तरों की न्यूनतम संख्या	**20**	**20**

अधिकतम सीटें/इकाई	**4 (20 बिस्तरे)** **5 (30 या इससे अधिक बिस्तरे)**	**4 (20 बिस्तरे)** **5 (30 या इससे अधिक बिस्तरे)**
* ऐसे विभागों में, जहां इकाइयां विनिर्धारित नहीं हैं, ऐसे स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या, जिन्हें किसी विभाग में दाखिल किया जा सकता है, उक्त विभाग में उपलब्ध संकाय सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। कोई ऊपरी सीमा विनिर्धारित नहीं है, तथापि सीटों की संख्या उपलब्ध नैदानिक सामग्री/ कार्यभार/ सुविधाओं के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।		

स्नातकोत्तर अध्यापकों और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1:2 और प्रति शैक्षिक वर्ष 20 बिस्तरों की प्रति इकाई पाठ्यक्रम के लिए चार स्नातकोत्तर सीटों की अधिकतम संख्या और प्रति शैक्षिक वर्ष प्रति इकाई पाठ्यक्रम के लिए पांच स्नातकोत्तर सीटों की अधिकतम संख्या की शर्त के अधीन प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई में शेष संवर्ग के लिए 1:1 होगा, बशर्ते कि उस इकाई के लिए 20 बिस्तरों की विनिर्धारित संख्या में 10 अध्यापन बिस्तरे प्रति सीट का अनुपूरण जोड़ दिया गया हो।

(ii) मेडिकल और शल्यचिकित्सीय ऑनकोलॉजी विभागों में अध्यापकों-छात्रों का अनुपात निम्नलिखित होगा:

स्नातकोत्तर अध्यापक : छात्र-मेडिकल और शल्यचिकित्सयी ऑनकोलॉजी के लिए अनुपात		
	सरकारी कॉलेज	**गैर-सरकारी कॉलेज**
प्रोफेसर	**1:3**	**1:3**
एसोसिएट प्रोफेसर	**1:2**	**1:2**
सहायक प्रोफेसर	**1:1**	**1:1**
इकाई में बिस्तरों की न्यूनतम संख्या	**20**	**20**
अधिकतम सीटें/इकाई	**4 (20 बिस्तरे)** **6 (30 या इससे अधिक बिस्तरे)**	**4 (20 बिस्तरे)** **6 (30 या इससे अधिक बिस्तरे)**

मेडिकल ऑनकोलॉजी और शल्य-चिकित्सीय ऑनकोलॉजी के पूर्णत: साधन संपन्न समर्पित विभाग के मामले में स्नातकोत्तर अध्यापकों और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात प्रोफेसर के लिए 1:3 होगा और प्रति शैक्षिक प्रति इकाई डिग्री के लिए 6 स्नातकोत्तर सीटों की अधिकतम संख्या की शर्त के अधीन प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई में कवर किए गए शेष संवर्ग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1:2 और 1:1 होगा, बशर्ते कि अति विशेषज्ञताओं के लिए इकाई हेतु बिस्तरों की संख्या 30 हो।

(3) उन्हीं इकाइयों, अध्यापन कर्मियों और इन विनियमावलियों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के लिए अवसंरचना के प्रति राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स आदि जैसे किसी अन्य निकाय के अधीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं है।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./08/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत: "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009,16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017, 27/06/2017, 31/07/2017, 20/02/2018, 05/04/2018, 28/01/2019 15/03/2019 और 01.04.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

No. MCI-18(1)/2019-Med./100889.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely:—

1. (i) These regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2019".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause 12 under the heading "Number of Post Graduate Students to be admitted" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", shall be substituted as under:-

"Number of Postgraduate Students to be admitted"

(1) A)The ratio of recognised Post Graduate teacher to number of students to be admitted for the following postgraduate courses shall be as under:-

Postgraduate Teachers : Students - Ratio For Clinical Subjects		
	Government College +Non-Govt. Colleges with 15 Years standing **	Other Non-Government Colleges
Professor	1:3	1:2
Asso.Prof. Unit Head*	1:3	1:1
Asso. Prof.*	1:2	1:1
Asst. Prof.*	-	-
Min. Bed Strength in unit	30	30
Max. Seats / Unit	3 (30 beds); 5 (40 beds)	3 (30 beds): 5 (40 beds)
For Anaesthesiology, Radiation Oncology, Psychiatry & Forensic Medicine & Toxicology following Postgraduate Teachers : Students-Ratio shall be applicable		
	Government College +Non-Govt. Colleges with 15 Years standing **	Other Non-Government Colleges
Professor	1:3	1:3
Asso.Prof. Unit Head*	1:2	1:1
Asso.Prof.*	1:1	1:1
Asst. Prof.*	-	-
Min.Bedstrength in unit	30	30
Max. Seats / Unit ***	3 (30 beds); 5 (40 beds)	3 (30 beds): 5 (40 beds)
*Refer provisions contained in General Note for determining intake capacity.		
**Non-governmental Medical college/Medical Institution with 15 years of standing,should have been running the postgraduate course since 10 years and should have completedatleast onerenewal of recognition assessment in the concerned subject satisfactorily, and has applied for increase inseats u/s 10A of the Indian Medical Council Act,1956.		
*** In Departments where units are not prescribed, the number of Postgraduate students that can be admitted in a Department shall depend upon the number of Faculty available in the said department. There is no upper limit prescribed, however number of seats shall be determined on the basis of available clinical material/workload/facilities.		

The ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the postgraduate course in broad specialities including diploma, prescribed for a Professor and for other cadres in each unit per year shall be to a maximum of 3 PG seats per unit of 30 beds per academic year and subject to a maximum of 5 PG seats per unit per academic year provided a complement of 10 teaching beds is added to the prescribed bed strength of 30 for the unit.

Counting of Beds:

Further provided that Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Intensive Care Unit (ICU) beds and beds of medical super-specialty units shall be included in bed strength of the Medicine department if the institute/ medical college is not running DM program in concerned super-specialty and is under the administrative control of the Department of Medicine :

Provided that Surgical Intensive Care Unit (SICU) beds and beds of surgical super-specialty units shall be included in bed strength of the Surgery department if the institute/ medical college is not running M.Ch. program in concerned super-specialty and is under the administrative control of the Department of Surgery :

Provided that Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and Paediatric Intensive Care Unit (PICU) beds and beds of super-specialty units shall be included in bed strength of the Paediatrics department if the institute/ medical college is not running DM program in concerned super-specialty and is under the administrative control of the Department of Paediatrics.

B) The ratio of recognised Post Graduate teacher to number of students to be admitted for the following postgraduate courses shall be as under:-

Postgraduate Teachers : Students -Ratio for Non-Clinical Subjects**			
	Govt. Colleges	Non-Govt.Colleges	The requirement of units and beds shall not apply in the case of Postgraduate degree or diploma courses in Basic and para-clinical departments.
Professor	1:3	1:2	
Asso.Prof.*	1:2	1:1	
Asst.Prof.*	-	-	
*Refer provisions contained in General Note for determining intake capacity.			
** In Departments where units are not prescribed, the number of Postgraduate students that can be admitted in a Department shall depend upon the number of Faculty available in the said Department. There is no upper limit prescribed, however number of seats shall be determined on the basis of available clinical material//workload/facilities.			

The requirement of units and beds shall not apply in the case of Postgraduate degree in pre- clinical departments and Postgraduate degree or diploma courses para - clinical departments.

General Note:

For Associate Professor:- If an Associate Professor fulfils all the eligibility criteria for the post of Professor as laid down in the medical Council of India Regulations, namely "Minimum Qualification for Teachers in Medical institutions, Regulations, 1998", and fulfils all the requirement of postgraduate teacher as per Postgraduate Medical Education Regulations, (Amendment) but has not been promoted to the higher post due to administrative non-availability of post or delay in filling up of post in the Govt. organization if he/she continue to work at the same government organization then such postgraduate teacher shall be allotted 3 (three) postgraduate students".

For Assistant Professor:- If an Assistant Professor fulfils all the requirements of Postgraduate Teacher as per Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 as amended, he shall be considered a Postgraduate teacher and shall be allotted 1 (one) Postgraduate student.

(2) **The number of students to be admitted in case of Post Graduate degree (Super speciality) courses**

(i) The ratio of Post Graduate teacher to the number of students to be admitted for super specialities course shall be as under:

Postgraduate Teachers : Students - Ratio for Superspeciality Subjects*		
	Govt. Colleges	**Non-Govt. Colleges**
Professor	**1:2**	**1:2**
Asso. Prof.	**1:2**	**1:2**
Asst. Prof.	**1:1**	**1:1**
Min.Bed Strength in unit	**20**	**20**
Max. Seats / Unit	**4 (20 beds)** **5 (30 or more beds)**	**4 (20 beds)** **5 (30 or more beds)**

*In Departments where units are not prescribed, the number of Postgraduate students that can be admitted in a Department shall depend upon the number of Faculty available in the said Department. There is no upper limit prescribed, however number of seats shall be determined on the basis of available clinical material/ workload/facilities.

The ratio of PG teacher to the number of students to be admitted for super specialities course shall be 1:2 for Professor/Assoc. Professor and 1:1 for remaining cadre in each unit per year subject to a maximum of 4 PG seats for the course per unit of 20 beds per academic year and to a maximum of 5 PG seats for the course per unit per academic year provided the complement of 10 teaching beds per seat is added to the prescribed bed strength of 20 for the unit.

(ii) In the departments of Medical & Surgical Oncology the Teacher – Students Ratio shall be as under:

Postgraduate Teachers : Students - Ratio for Medical & Surgical Oncology		
	Govt. Colleges	**Non-Govt. Colleges**
Professor	**1:3**	**1:3**
Asso. Prof.	**1:2**	**1:2**
Asst. Prof.	**1:1**	**1:1**
Min.Bed Strength in unit	**20**	**20**
Max. Seats / Unit	**4 (20 beds)** **6 (30 or more beds)**	**4 (20 beds)** **6 (30 or more beds)**

In case of full-fledged dedicated department of medical oncology and surgical Oncology the ratio of PG teacher to the number of students to be admitted shall be 1:3 for Professor, for Assoc. Professor 1:2 and 1:1 for remaining cadre covered in each unit per year subject to a maximum of 6 PG seats for the degree per unit per academic year provided a bed strength of 30 for the unit for super specialties.

(3) Postgraduate courses under any other body like the National Board of Examinations, College of Physicians & Surgeons, etc. are notpermissible against the very same units, teaching personnel and infrastructure for courses under these Regulations.

Dr. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./08/19]

Footnote : The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 03/03/2001; 06/10/2001; 16/03/2005; 23/03/2006; 20/10/2008; 25/03/2009; 21/07/2009; 17/11/2009; 09/12/2009; 16/04/2010; 08/12/2010; 27/12/2010; 09/02/2012; 27/02/2012; 28/03/2012; 17/04/2013; 01/02/2016; 17/06/2016; 08/08/2016; 31/01/2017; 11/03/2017; 06/05/2017; 27/06/2017, 31/07/2017, 20.02.2018 05.04.2018, 28.01.201915, 03.2019 & 01.04.2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.05 22:56:42 +05'30'